रजिस्ट्री सं० डी-(डी) 72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 447] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 1976/आश्विन 19, 1898

No. 447] **NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1976/ASVINA 19, 1898**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

ORDERS

New Delhi the 11th *October* 1976

S.O. 670(E).—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary and other evidence in its possession that the persons in charge of the tea unit known as Pashok Tea Estate, P.O. Pashok, Darjeeling (hereinafter referred to as the said unit) owned by M/s. Pashok Tea Company Limited, 10, Pollock Street, Calcutta, have, by the creation of incumbrances on the assets of the said unit have brought about a situation which is likely to affect the production of tea manufactured or produced by the said unit and that immediate action is necessary to prevent such a situation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby authorises the Tea Trading Corporation of India Limited, 225-E, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Calcutta-20, (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the said unit subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The authorised person shall comply with all the directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette;

(iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. B.12012(4)/76-Plant(A)]

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1976

का० आ० 670(अ).—केन्द्रीय सरकार का, ऐसे दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य के आधार पर जो उसके पास हैं, यह समाधान हो गया है कि उन व्यक्तियों ने जिनके प्रभाराधीन मैसर्स पशोक टी कम्पनी लिमिटेड, 10, पोलोक स्ट्रीट, कलकत्ता के स्वामित्वाधीन पशोक टी एस्टेट, डाकघर पशोक, दार्जीलिंग (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त एकक कहा गया है) के नाम से ज्ञात चाय एकक है, उक्त एकक की आस्तियों पर विल्लंगमों का सृजन करके ऐसी स्थिति ला दी है कि उक्त एकक द्वारा विनिर्मित या उत्पादित चाय के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और ऐसी स्थिति के निवारण के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 2) की धारा 16 ङ की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, 225-ई, आचार्य जगदीश चन्द्र बसु मार्ग, कलकत्ता-20 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) को, निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए उक्त सम्पूर्ण एकक का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(i) प्राधिकृत व्यक्ति, उन सभी निदेशों का अनुपालन करेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय समय पर जारी करे।

(ii) प्राधिकृत व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ;

(iii) यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे तो प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति पहले भी समाप्त कर सकती है।

2. यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[सं० बी 12012 (4)/76—प्लांट (ए)]

S.O. 671(E).—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary and other evidence in its possession that the persons in charge of the tea unit known as *Looksan Tea Estate, P.O. Carron, District Jalpaiguri* (hereinafter referred to as the said unit) owned by M/s. Pashok Tea Company Limited, 10, Pollock Street, Calcutta, have, by the creation of incumbrances on the assets of the said unit have brought about a situation which is likely to affect the production of tea manufactured or produced by the said unit and that immediate action is necessary to prevent such a situation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby authorises the Tea Trading Corporation of India Limited, 225-E, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Calcutta-20, (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the said unit subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The authorised person shall comply with all the directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette;

(iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. B.12012(5)/76-Plant(A)]

का० प्रा० 671 (अ).—केन्द्रीय सरकार का ऐसे दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य के आधार पर जो उसके पास है यह समाधान हो गया है कि उन व्यक्तियों ने जिनके प्रभाराधीन मैसर्स पशोक टी कम्पनी लिमिटेड, 10, पोलोक स्ट्रीट, कलकत्ता के स्वामित्वाधीन लुक्सन टी एस्टेट, डाकघर केरोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त एकक कहा गया है) के नाम से ज्ञात चाय एकक है, उक्त एकक की आस्तियों पर विल्लंगमों का सृजन करके ऐसी स्थिति ला दी है कि उक्त एकक द्वारा विनिर्मित या उत्पादित चाय के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और ऐसी स्थिति के निवारण के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16 ङ की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, 225 ई, आचार्य जगदीश चन्द्र बसु मार्ग, कलकत्ता—20 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) को, निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए उक्त सम्पूर्ण एकक का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(i) प्राधिकृत व्यक्ति, उन सभी निदेशों का अनुपालन करेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर जारी करे ;

(ii) प्राधिकृत व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा ;

(iii) यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे तो प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति पहले भी समाप्त कर सकती है ;

2. यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा ।

[सं० बी 12012 (5)/76-प्लांट (ए)]

S.O. 672(E).—Whereas the Central Government is satisfied from the documentary and other evidence in its possession that the persons in charge of the tea unit known as Vah-Tukvar Tea Estate (hereinafter referred to as the said unit) owned by M/s. Sashi Tara Tea Company Private Limited, Darjeeling have, by the creation of incumbrances on the assets of the said unit have brought about a situation which is likely to affect the production of tea manufactured or produced by the said unit and that immediate action is necessary to prevent such a situation;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 16E of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), the Central Government hereby authorises the Tea Trading Corporation of India Limited, 225-E, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Calcutta-20, (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the said unit subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) The authorised person shall comply with all the directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the authorised person shall hold office for a period of five years from the date of publication of this Order in the Official Gazette;

(iii) the Central Government may terminate the appointment of the authorised person earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. B.12012(6)/76-Plant(A)]

P. K. KAUL, Addl. Secy.

का० आ० 672 (अ).—केन्द्रीय सरकार का, ऐसे दस्तावेजी और अन्य साक्ष्य के आधार पर जो उसके पास है यह समाधान हो गया है कि उन व्यक्तियों ने जिनके प्रभाराधीन मैसर्स शशी तारा टी कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, दार्जिलिंग के स्वामित्वाधीन वाह-तुक्वर टी एस्टेट (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त एकक कहा गया है) के नाम से ज्ञात चाय एकक है, उक्त एकक की आस्तियों पर विल्लंगमों का सृजन करके ऐसी स्थिति लादी है कि उक्त एकक द्वारा विनिर्मित या उत्पादित चाय के उत्पादन पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है और ऐसी स्थिति के निवारण के लिए तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 16 ङ की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड, 225-ई, आचार्य जगदीश चन्द्र बसु मार्ग, कलकत्ता-20 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकृत व्यक्ति" कहा गया है) को, निम्नलिखित शर्तों और निबन्धनों के अधीन रहते हुए उक्त सम्पूर्ण एकक का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

(i) प्राधिकृत व्यक्ति, उन सभी निदेशों का अनुपालन करेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार समय-समय पर जारी करे;

(ii) प्राधिकृत व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा;

(iii) यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे तो प्राधिकृत व्यक्ति की नियुक्ति पहले भी समाप्त कर सकती है;

2. यह आदेश, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रारम्भ होने वाली पांच वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

[सं० बी 12012 (6)/76-प्लांट (ए)]

पी० के० कौल, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976